①

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :– श्री रामसिंह राजावत (आर.ए.एस.)
मुकदमा संख्या पुराना– 88/98
मुकदमा संख्या नया – 90/2006

जी.सी.एम.एस.नं.– 2006/00029
निर्णय दिनांक:– 07.04.2022

1– हरीशचन्द्र पुत्र श्री बिड़दूराम जाति जाट निवासी छापौली हाल निवासी जमात उदयपुरवाटी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू (राज0) (फौत)
1/1 सुरेन्द्र कुमार पुत्र श्री हरीशचन्द्र जाति जाट निवासी सौकड़ा की ढाणी तन छापौली हाल निवासी जमात उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू (राज0)

वादी

बनाम

1– श्रीमान राजस्व सचिवव, राजस्थान सरकार जयपुर सेकेट्रीयट जयपुर
2– जिला कलक्टर महोदय, जिला झुन्झूनू (राज0)

प्रतिवादीगण

वाद बाबत घोषणार्थ व स्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय

दिनांक:– 07.04.2022

वादीगण ने जरिये अधिवक्ता वादपत्र इस आशय का पेश किया है कि ग्राम छापौली में भूमि खसरा नम्बर 1272 रकबा 20 बीघा 18 बिश्वा पुख्ता स्थित है जिसको आगे वादपत्र में विवादग्रस्त भूमि के नाम से अंकित की गई है। विवादग्रस्त भूमि पहले जागीरदारों के समय से जागिरदार जतनसिंह, उगमसिंह, जमनसिंह, छोगसिंह व सवाई सिंह आदि की स्वामित्व व माल्कियत की भूमि थी जिसमें तत्कालीन जागीरदार पशुओं का चारा पैदा करते थे और फलाआहार पेड़ रखते थे इसलिए विवादग्रस्त भूमि तत्कालीन जागिरदारों की कृषि भूमि थी और कृषि भूमि के रूप में काम में लेते थे। जागीरदारों के समय भारत आजाद नहीं था और वे ही मालिक थे, मालिकाना हैसियत से काबिज थे। विवादग्रस्त भूमि तत्कालीन जागीरदारों की कृषि भूमि होने के कारण वादी ने तत्कालीन जागीरदार जतनसिंह, जमनसिह, उगमसिंह, छोगसिंह व सवाईसिंह आदि जागीरदारान से व उनकी सहमति से मिति भादवा बदी 3 सम्वत 2007 को खरीदी थी और खरीद के तमाम रूपये छः सौ अदा कर कब्जा भी प्राप्त कर लिया था। तब से लेकर वादी आज तक काबिज है और विवादग्रस्त भूमि मे से करीबन एक बीघा भूमि स्कूल बनाने हेतु दे दी थी जिस पर अतिक्रमण करने वालों के विरूद्ध न्यायालय सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ–खण्ड) उदयपुरवाटी मे दावा चल रहा है उसमे भी वादी द्वारा एक बीघा भूमि स्कूल बनाने हेतु देना स्वीकार किया है। इस प्रकार वादी भूमि खसरा नम्बर 1272 रकबा 19 बीघा 18 बिश्वा का खातेदार काश्तकार है और काबिज है। खरीद की लिखापढी वादी की बही में वादी के पास मौजूद है। तत्कालीन जागीरदारों को जागिर समाप्त होने से पूर्व अपनी भूमि विक्रय करने व पट्टा देने का पूर्ण अधिकार था। वादी द्वारा खरीद शुदा विवादग्रस्त भूमि की लिखावट भी जागीरदारी समाप्त होने पर जागीर कलेक्टर द्वारा दिनांक 20.01.1959 को प्रमाणित है। भारत आजाद होने के बाद मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सन् 1955 लागू हुआ उस समय भी वादी विवादग्रस्त भूमि पर बहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज था और उसके अनुसार भी वादी विवादग्रस्त भूमि का खातेदार काश्तकार हो गया जिसको सार्वजनिक भूमि मानकर बेदखल किये जाने का कोई प्रश्न पैदा नहीं होता है। वादी की प्रार्थना पर पटवारी हल्का ने वादी के पक्ष में विवादग्रस्त भूमि का नामान्तकरण भरा व गिरदावर हल्का ने रिकार्ड के अनुसार [illegible] हेतु अपनी रिपोर्ट की और ग्राम पंचायत छापौली ने वादी के विवादग्रस्त भूमि के उपर क[illegible] पूरी जॉच करके नियमानुसार वादी के पक्ष में नामान्तकरण तस्दीक किया ज[illegible] करते हुए तस्दीक किया गया है जिसकी अभी तक कोई अपील भी नहीं [illegible] है। इन्तकाल नम्बर 144 ग्राम छापौली [illegible] अनुसार भी वादी का विवादग्रस्त भूमि पर शान्तिपूर्वक पुराना कब्जा है। वादी के पक्ष में भरा गया नामा[illegible] दिनांक

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2023.06.14 17:56:52 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) उदयपुरवाटी (झुन्झुनूं)

(2)

..06.63 को तस्दीक किया गया है, इसके बाद का तमाम राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी गश्त गिरदावरी वादी के नाम से चले आ रहे है तथा वादी ने विवादग्रस्त भूमि का लगान भी अदा किया है। नई पैमाईश में भी भू-प्रबन्ध विभाग के सक्षम अधिकारियों ने मौके पर वादी का कब्जा होने के कारण पर्चा खतौनी आदि वादी के नाम से सही दर्ज किये है। विवादग्रस्त भूमि पर वादी का कब्जा काश्त भादवा बदी 3 सम्वत 2007 से आज तक लगातार बिना किसी प्रकार की रोक-टोक के चला आ रहा है और राजस्व रिकार्ड भी वादी के नाम से बना हुआ है अर्थात वादी का विवादग्रस्त भूमि पर कब्जा लगातार पिछले 47-48 वर्ष से चला आ रहा है। इसके बावजूद भी जिला कलक्टर महोदय जिला झुन्झुनू ने वादी के हक में तस्दीक किये गये नामान्तकरण को निरस्त करवाने हेतु राजस्व मण्डल अजमेर को रेफर किया गया। यह रेफरेन्स करने की मियाद का कोई ख्याल नहीं किया गया। यह रेफरेन्स वादी से रंजिश रखने वाले लोगों की प्रार्थना पर किया गया है और कानून के खिलाफ साजिश के तौर पर किया गया है तथा मौके पर किसी भी तरह की जाँच किये बिना किया गया है तथा जिला कलक्टर महोदय झुन्झुनू के द्वारा कब्जे की भी कोई जाँच नहीं की गई है। रेफरेन्स करने पर राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा किया गया आदेश वादी के वाद को प्रभावित नहीं करता है और वादी को अपना वाद प्रस्तुत करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त हैं। श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, झुन्झुनू के रेफरेन्स पर राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा वादी के हक में भरा जाकर तस्दीक किया गया नामान्तकरण निरस्त होने पर प्रतिवादीगण वादी को जबरन बेदखल करना चाहते हैं और राजस्व रिकार्ड में तब्दीली करना चाहते है। वादी को विवादग्रस्त भूमि से बेदखल करने हेतु तहसीलदार जी ने दिनांक 25.04.98 को जिलाधीश महोदय, झुन्झुनू के आदेशानुसार जबरन बेदखल किये जाने की धमकी दी है। इसलिए यह स्थायी निषेधाज्ञा का वाद पेश करना आवश्यक हुआ। दावा हाजा के लिऐ दिनांक 12.03.92 को रेफरेन्स स्वीकार नामान्तकरण निरस्त करने के आदेश के रोज व दिनांक 25.04.98 को जबरन बेदखल करने की धमकी देने के रोज और प्रतिवादीगण को दिनॉक 6.10.97 को दो माह को नोटिस दिये गये की अवधि समाप्त होने पर दिनांक 6.12.97 को न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में उत्पन्न हुआ। अतः वाद मय शपथ-पत्र पेश कर निवेदन हैं कि वाद बहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण डिक्री फरमाया जाकर सरहद ग्राम छापौली में स्थित भूमि पुराने खसरा नम्बर 1272 तादादी 19 बीघा 18 बिश्वा व नये खसरा नम्बर 612 रकबा 5.05 है० का खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जावे और वादी को खातेदार काश्तकार व काबिज घोषित फरमाया जावे। प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द फरमाया जावे कि विवादग्रस्त भूमि पर वादी के कब्जे में किसी प्रकार की दखल ना तो स्वयं करे और ना हीं अपने अधिनस्थ कर्मचारी, नोकर चाकर आदि से करवावें तथा वादी के शान्तिपूर्वक उपभोग व उपयोग मे किसी प्रकार की बाधा ना तो स्वयं करें और नाहीं अपने अधिनस्थ कर्मचारी या नौकर आदि से करवावें। वादी द्वारा अपने पशुओं आदि के लिऐ चारा उत्पादन में कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं करें और वादी द्वारा चारा उत्पादन में किसी प्रकार की कोई रूकावट पैदा नहीं करे।

वाद पत्र दर्ज किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी वास्ते जबाबदेही की गई। साक्ष्वादी में वादी हरिशचन्द्र, गवाह सायर सिंह, सांवरमल ने शपथ-पत्र पेश किये।

वाद पत्र में बहस अंतिम श्रवण की गई। बहस के दौरान अधिवक्ता वादीगण ने वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा लिखित बहस पेश की कि ग्राम छापौली में पुराने खसरा नम्बर 1272 रकबा 20 बीघा 18 बिश्वा पुख्ता भूमि थी जो जागीरदारों के समय से जागिरदार जतनसिंह, उगमसिंह, जमनसिंह, छोगसिंह व सवाई सिंह आदि की स्वामित्व व माल्कियत की भूमि थी जिसमें तत्कालीन जागीरदार पशुओं का चारा पैदा करते थे और फलाआहार पेड़ रखते थे इसलिए विवादग्रस्त भूमि तत्कालीन जागिरदारों की कृषि भूमि थी और कृषि भूमि के रूप में काम में लेते थे। जागीरदारों के समय भारत आजाद नहीं था और वे ही मालिक थे, मालिकाना हैसियत से काबिज थे। विवादग्रस्त भूमि तत्कालीन जागीरदारों की कृषि भूमि होने के कारण वादी ने तत्कालीन जागीरदार[illegible] छोगसिंह व सवाईसिंह आदि जागीरदारान से व उनकी सहमति से मिति भादवा बदी 3 सम[illegible]007 [illegible] खरीदी थी और खरीद के तमाम रूपये छः सौ अदा कर कब्जा भी प्राप्त कर [illegible] वादी आज तक काबिज है और विवादग्रस्त भूमि मे से करीबन एक बीघा भूमि [illegible] हेतु [illegible] थी। इस प्रकार वादी भूमि खसरा नम्बर 1272 रकबा 19 बीघा 18 बिश्वा का [illegible] काबिज है। खरीद की लिखापढी

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2023.06.14 17:56:52 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
उदयपुरवाटी (झुन्झुनू)

की बही में वादी के पास मौजूद है। तत्कालीन जागीरदारों को जागिर समाप्त होने से पूर्व अपनी भूमि
क्रय करने व पट्टा देने का पूर्ण अधिकार था। वादी द्वारा खरीद शुदा विवादग्रस्त भूमि की लिखावट भी
जागीरदारी समाप्त होने पर जागीर कलेक्टर द्वारा दिनांक 20.01.1959 को प्रमाणित है। राजस्थान
काश्तकारी अधिनियम सन् 1955 लागू हुआ उस समय भी वादी विवादग्रस्त भूमि पर बहैसियत खातेदार
काश्तकार काबिज था और उसके अनुसार भी वादी विवादग्रस्त भूमि का खातेदार काश्तकार हो गया तथा
पटवारी हल्का ने वादी के पक्ष में विवादग्रस्त भूमि का नामान्तकरण भरा व गिरदावर हल्का ने रिकार्ड के
अनुसार नामान्तकरण तस्दीक किये जाने हेतु अपनी रिपोर्ट की और ग्राम पंचायत छापोली ने वादी के
विवादग्रस्त भूमि के उपर कब्जे की बाबत पूरी जॉच करके नियमानुसार वादी के पक्ष में नामान्तकरण
तस्दीक किया जो सभी कानूनी प्रकियाओ की पालना करते हुऐ तस्दीक किया गया है जिसकी अभी तक
कोई अपील भी नहीं की गई है। नामान्तकरण नम्बर 144 ग्राम पंचायत ने भूमि पर कब्जा मानकार स्वीकार
किया गया। इसके बाद का तमाम राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी गश्त गिरदावरी वादी के नाम से चले आ रहे है
तथा वादी ने विवादग्रस्त भूमि का लगान भी अदा किया है। पडौसी द्वारा विवाद होने पर समय समय पर
पत्थर गढी भी करवाई गई थी। इस प्रकार विवादग्रस्त भूमि पर वादी का कब्जा काश्त भादवा बदी 3 सम्वत
2007 से आज तक मौके पर काबिज है तथा वादी विपरीत कब्जे के आधार पर भी विवादित भूमि का
खातेदार काश्तकार है। इसके बावजूद भी जिला कलक्टर महोदय जिला झुन्झुनू ने वादी के हक में तस्दीक
किये गये नामान्तकरण को निरस्त करवाने हेतु राजस्व मण्डल अजमेर को रेफरेन्स किया गया। यह
रेफरेन्स बिना किसी अधिकार कानून व तथ्यों तथा दस्तावेजों के मियाद बाहर पेश किया तथा रेफरेन्स पर
राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा किया गया आदेश वादी के वाद को प्रभावित नहीं करता है। उक्त वाद पर
प्रतिवादीगण द्वारा किसी प्रकार का जवाब दावा प्रस्तुत नहीं किया गया तथा दिनांक 28.01.2003 को
प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वादी ने अपने साक्ष्य में पी डब्ल्यू 1 स्वयं
तथा पी डब्ल्यू 2 सायरसिंह, पी डब्ल्यू 3 सांवरमल गुर्जर के बयान कराए तथा निम्नलिखित दस्तावेज
प्रदर्शित करवाए भूमि खरीद बही लिखावट जो जागीर कलेक्टर द्वारा प्रमाणित प्रदर्श पी–1 है जिसकी फोटो
कॉपी प्रदर्श पी–1 ए है राज्य सरकार को दिया गया 80 सी.पी.सी. का नोटिस प्रदर्श पी–2 हैं। नोटिस की
रजिस्टर्ड रसीद प्रदर्श पी–3, प्रदर्श पी–4 विवादित भूमि बाबत एसडीएम साहब नवलगढ को दिनांक 25.10.
1962 को नामान्तकरण दर्ज हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की सत्य प्रति प्रदर्श पी–5 है, विवादित भूमि बाबत
हल्का पटवारी रिपोर्ट दिनांक 5.3.1963 की सत्य प्रतिलिपि प्रदर्श 6 है नामान्तकरण आदेश दिनांक 01.04.
1963 तहसीलदार उदयपुरवाटी के आदेश की प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी–7 है हल्का पटवारी भोपालसिंह की
रिपोर्ट सत्य प्रति दिनांक 15.09.1963 प्रदर्श पी–8 है जो विवादित भूमि की पत्थर गढी बाबत है दिनांक 14.
09.1962 को पटवारी हल्का द्वारा विवादित भूमि बाबत पत्थरगढी रिपोर्ट सत्य प्रति प्रदर्श पी–9 हैं विवादित
भूमि का मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श पी–10 है विवादित भूमि की पासबुक प्रदर्श पी–11 हैं जिसकी संलग्न
पत्रावली फोटो कॉपी प्रदर्श पी–11 ए हैं जिसमें वादी का नाम अंकित है। नकल खतौनी खसरा नम्बर 612
प्रदर्श पी–12, खसरा नम्बर 612 का पर्चा नोटिस प्रदर्श पी–13, पर्चा खतौनी प्रदर्श पी–14 हैं। जमाबन्दी
सम्वत 2026–2033 तक प्रदर्श पी–15 प्रमाणित प्रति जमाबन्दी सम्वत 2030 से 2033 तक प्रदर्श पी–16
उक्त सभी दस्तावेज वादी के नाम से खातेदारी अंकित है। विवादित भूमि की जमाबन्दी सम्वत 2013 से
2017 प्रदर्श पी–17 है जिसमें मालिक पाना भारमल जी ऐ से बी अंकित है। जमाबन्दी सम्वत 2051–2054
प्रदर्श पी–18, खसरा नम्बर 612 रकबा 5.05 है0 बारानी सोयम दर्ज है जिसमें खातेदारी वादी के नाम से
अंकित हैं। वादी के नाम दर्ज खसरा गिरदावरी पुराने खसरा नम्बर 1272 सम्वत 2019 से 2020 प्रदर्श
पी–19 हैं जिसमें तादादी 19 बीघा 18 बिश्वा जिसके नये खसरा नम्बर 612 रकबा 5.05 है0 ग्राम छापोली
दर्ज है इसके अलावा अन्य दस्तावेज सत्यप्रति जमाबन्दी ग्राम छापौली सम्वत 2026 से 2033 पुराने खसरा
नम्बर 1276, 1272 मीन तथा नये खसरा नम्बर 612 की सत्य प्रति जमाबन्दी सम्वत 2043, 2047 से 2054
तक तथा पुराने खसरा नम्बर 1272, 1276 मीन की [illegible] खसरा गिरदावरिया सम्वत 2015 से 2018,
सम्वत 2027–2030 एवं सम्वत 2036 से 2043 तक [illegible] सत्य प्रति खसरा गिरदावरी नए खसरा
नम्बर 612 सम्वत 2049 से 2050 तक [illegible] की है जिसमें वादी का नाम दर्ज है। गवाह पी डब्ल्यू 2
सायरसिंह राजपूत ने भी विवादित भूमि पर वादी का कब्जा होना कथन किया है तथा गवाह पी डब्ल्यू 3

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2023.06.14 17:56:52 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (सिविल कोर्ट)
उदयपुरवाटी (झुन्झुनूं)

[illegible] गुर्जर से विवादित भूमि पर वादी का कब्जा होना व काबिज होना कहा है [illegible] प्रतिवादीगण द्वारा [illegible] एवं मौखिक साक्ष्य से नहीं किया गया है। वादी ने अपने वाद के समर्थन में [illegible] जैतसिंह [illegible] (2) [illegible] (3) [illegible] मांगुरी पेश किये है। [illegible] (4) [illegible] 2001 पेज नम्बर 583 [illegible] ग्राम छापौली की भूमि खसरा नम्बर पुराने 1272 [illegible] नम्बर 612 रकबा 5.05 है० से विवादित भूमि को [illegible] खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अंकन का आदेश प्रदान करें।

प्रतिवादीगण की ओर से तहसीलदार उदयपुरवाटी उपस्थित होकर निवेदन किया कि प्रतिवादीगण की पूर्व में एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई है लेकिन प्रकरण में राज्य हित निहित होने के कारण प्रतिवादीगण की ओर से पैरवी करने का अवसर दिया जावे। तहसीलदार उदयपुरवाटी का निवेदन स्वीकार किया गया तथा तहसीलदार उदयपुरवाटी ने लिखित बहस पेश की। तहसीलदार उदयपुरवाटी ने लिखित बहस में अंकित किया कि जागीरदारों को किसी प्रकार की भूमि के बेचान के अधिकार प्राप्त नहीं थे। वादी को सरकारी भूमि खसरा नम्बर 612 में किसी प्रकार की सहमति के आधार पर मकबूल भूमि देने का अधिकार नही हैं। उक्त भूमि राजकीय है। अतः श्रीमान जिला कलक्टर महोदय द्वारा माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में पेश रेफरेन्स के आधार पर भूमि को राजकीय कर दीगर व्यक्तियों के नामान्तकरण को खारीज कर राजकीय घोषित किया हैं। गिरदावरी के आधार पर माननीय न्यायालय को खातेदारी देने का कोई अधिकार नही है। वाद पत्र में वर्णित भूमि राजकीय खाते में दर्ज है तथा किस्म गै.मु. पहाड़ है जो कि प्रतिबंधित श्रेणी में हैं। माननीय न्यायालय को प्रतिबंधित श्रेणी की भूमि में खातेदारी देने का अधिकार नहीं है। अतः वाद पत्र खारीज फरमाया जावे।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया गया। ग्राम छापौली की जमाबन्दी सम्वत 2051–54 भूमि खसरा नम्बर 712 रकबा 5.05 है0 में इस आशय का नोट अंकित है कि जरिये नामान्तकरण सं0 364 खसरा नम्बर 712 रकबा 5.05 है0 की खातेदारी हरिशचन्द पि0 बिड़दूराम के बजाय सिवायचक नाकाबिल काश्त गै.मु. डुगरी पटपड पहाड़ की खातेदारी में स्वीकार हुई। श्रीमान जिला कलक्टर महोदय झुन्झुनू द्वारा माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में पेश रेफरेन्स के आधार पर भूमि को राजकीय कर दीगर व्यक्तियों के नामान्तकरण को खारीज कर राजकीय घोषित किया हैं। वाद पत्र में वर्णित भूमि राजकीय खाते में दर्ज है तथा किस्म गै.मु. पहाड़ है जो कि प्रतिबंधित श्रेणी की भूमि हैं। प्रतिबंधित श्रेणी की भूमि में खातेदारी देने का अधिकार न्यायालय को नहीं है। उक्त विवेचन से वादी द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र सरकारी भूमि में खातेदारी देने से संबंधित होने के कारण खारीज किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत होता हैं।

आदेश

वादी का वाद पत्र प्रतिबंधित श्रेणी की भूमि से सबंधित होने के कारण खारीज किया जाता हैं।

07/4/22
उपखण्ड अधिकारी
(रामसिंह राजावत)
उदयपुरवाटी

निर्णय आज दिनांक 07.04.2022 को मेरे द्वारा अलग से टंकित करवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

07/4/22
उपखण्ड अधिकारी
(रामसिंह राजावत)
उदयपुरवाटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2023.06.14 17:56:52 IST
Reason: SelfAttested